



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262811  
CG-DL-E-01052025-262811

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947

No. 7]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISAKHA 11, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

**का.नि.आ. 7(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कैटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

**“2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”**

3. मूल नियम की अनुसूची में, संयुक्त महाप्रबंधक, ग्रेड-2 के पद के संबंध में,

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(4)
स्तर-13 “(123100-215900 रु.)।”;

(ii) स्तंभ (12) में,-

- (क) “(3700-5000 रुपये)”, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये)”, शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) “3700-5000 रुपये के वेतनमान”, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक. का. नि. आ. 58 तारीख 28 मार्च 1994, द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

[फा. सं. 01(08)/2025/डी(सीएसडी)]

एम.पी. हरिनारायानन, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2025

**S.R.O. 7(E)**— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make the following rules to amend the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II), Recruitment Rules, 1994, namely: -

- (1) These rules may be called the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II), Recruitment Rules, 1994 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -
 

“2. Number of posts, classification, and level in pay matrix. - The number of said post its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- In Schedule to the principal rules, relating to the post of Joint General Manager, Grade-II,-

- (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix.
(4)
Level 13 ( Rs 123100-215900).”;

(b) in column (12),-

- (i) for the brackets and figures “(Rs 3700-5000)”, the words, figures and brackets “level 12 (Rs 78800- 209200) in the pay matrix” shall be substituted;
- (ii) for the words and figures “the pay scale of Rs 3700-5000”, the words, figures and brackets “level 12 (Rs 78800- 209200) in the pay matrix” shall be substituted;

**Note.** - The principal rules were published, *vide* notification number S.R.O. 58 dated the 28<sup>th</sup> March, 1994 in the Gazette of India, Part II, Section 4.

[F. No. 01(08)/2025/D(CSD)]

M.P. HARINARAYAN, Under Secy.